

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA (DAVV), INDORE
LLB 4 SEMESTER QUESTION PAPER

छठवां प्रश्न पत्र 2011

दण्ड प्रक्रिया संहिता CRIMINALLAW-II

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt five questions in all. One question from each section is compulsory. All questions carry equal marks.

(खण्ड -अ Section-A)

1. वारण्ट मामलों की मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Describe the procedure for trial of warrant cases by Magistrates.

2. जाँचों एवं परीक्षणों से सम्बन्धित सामान्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Describe the general provisions as to inquiries and trials.

3. संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति विशिष्ट न्यायालयों में विशिष्ट अपराधिक मामलों के संबंध में ही निहित है। व्याख्या कीजिए।

The power to try summarily is vested only in certain courts and in relation to certain offences. Discuss.

4. सेशन न्यायालय द्वारा दण्डादिष्ट मृत्यु दण्ड के निष्पादन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

Discuss the procedure to be allowed in execution of death sentence passed by Session Judge.

(खण्ड-ब Section-B)

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपील से सम्बन्धित प्रावधानों का संक्षेप मंक वर्णन कीजिए।

Describe in brief the provisions regarding appeal in Criminal Procedure Code.

6. फौजदारी मामलों में जमानत स्वीकार करने के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या जमानत अधिकार के रूप में माँगी जा सकती है?

Discuss in brief principles regarding grant of "Bail" in criminal cases. Can a bail be claimed as a matter of right? <http://www.rdvonline.com>

7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

(1) निर्देशन एवं पुनरीक्षण (2) फौजदारी मामलों का स्थानान्तरण

Write short notes on the following: (i) Reference and Revision (ii) Transfer of Criminal Cases

8. अभियुक्त की अनुपस्थिति से साक्ष्य कब अभिलिखित की जा सकती है?

When evidence can be recorded in absence of accused in criminal cases.

(खण्ड -स Section-C)

9. बशीरु क हक बनाम वेस्ट बंगाल राज्य ए.आई.आर. 1953 सु.को. 598 के वाद के तथ्य तथा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid down in the case of Bashirul Haq Vs. State of West Bengal AIR 1953 SC 598.

10. जोगिन्दर कुमार बनाम राज्य (1994) 4 एस.सी.सी. 260 के वाद के तथ्य तथा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid down in the case of Joginder Kumar vs State (1994) SCC 260.